

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली

बईजलास : मनुसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री खेमराज मेनारिया पिता स्व० ईश्वरलाल जी मेनारिया जाति ब्राहमण आयु 53 वर्ष, निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)।

.....वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार मावली जिला-उदयपुर (राजस्थान)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न० : 129 / 19 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2019 / 00254

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम मोतीखेड़ा पटवार हल्का गुडली की नकल जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या 19 पर दर्ज आराजी नम्बर 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751 किता 14 कुल रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार ईश्वरलाल पिता देवकिशन के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी खेमराज पिता ईश्वरलाल मेनारिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **29.07.2024** को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मावली जिला उदयपुर

